

17-8-19

पार्की वकील को अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ व श्री अभिमन्युसिंह द्वारा यह प्रार्थना पत्र विद्वाह अपार्की सं 01 लगाय 04 तक के अन्तर्गत द्वारा जोड़ना-9, नियम 13 सी. पी. सी. में पेश सदाहत किया।

अतः यह प्रार्थना पत्र पंजीकृत है एवं अपार्कीशण के नाम नोटिस जारी है व नोटिस के साथ प्रार्थना पत्र की नकल भेजी जावे। मिसल वाले जबाब प्रार्थना पत्र के अग्रिम दिनांक 28/8/19 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी

सुमेरपुर (पाली)

28/8/19

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील श्री अभिमन्यु सिंह उपरोक्त वादी वकील ने प्रार्थना पत्र पेश का निवेदन किया कि प्रार्थो उक्त प्रार्थना पत्र का चलाना नहीं चाहते हैं अतः प्रार्थना पत्र विद्वाह किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली पर संलग्न रेकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थो वकील द्वारा प्रार्थ पत्र विद्वाह किये जाने से पत्रावली Not Press में खारीज की जाती है। पत्रावली फंसल मुद्रा लेकर नम्बर से कलहो। निगम सरेइ जलास सुनाया गया।

जानिपत चल्क  
Not Press  
किसी/व  
aw

उपखण्ड अधिकारी